यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल के माह जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक के लेखा अभिलेखो की जांच श्री भानु प्रताप सिंह , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं अनूप चौहान , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25.01.2019 से 06.02.2019 तक श्री ए. सी. कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित किया गया।

भाग-1

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरिंदम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक एवं श्री दयाशंकर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08.01.2017 से 27.01.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी जिसमें माह 05/2016 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2018 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं समाज के कमजोर वर्ग आदि के उत्थान के लिए विभिन्न पेंशन योजनाओं, छात्रवृत्ति, शादी अनुदान एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाना है। इसका भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण नैनीताल जनपद है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत /आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2016-17	-	-	360.05	335.66	24.39	4786.39	4329.96	456.43
2017-18	-	-	386.17	386.17	0.00	5522.31	5522.31	0.00
2018-19 (up to 12/2018)	-	-	389.43	292.43	97.00	4540.18	3422.37	1117.81

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)	685.25	650.76	666.58	666.56	251.20	246.33
अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	448.07	358.31	596.06	587.55	454.52	92.96
अनुसूचित जन जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	88.07	42.11	45.73	45.73	6.69	6.69
अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति	81.10	4.60	43.87	22.26	46.96	1.23
सामान्य वर्ग के छात्रों को अम्बेडकर छात्रवृत्ति	0.00	0.00	34.64	0.00	34.64	0.00

(ii) इकाई को बजट आवंटन भारत सरकार एवं निदेशक समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई (अ) श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन→निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन→जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। वृद्धावस्था पेंशन, अटल आवास योजना, अनुसूचित जाति दशमोत्तर छातृवृत्ति योजना, शादी विवाह अनुदान एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनाओं का विश्लेषण किया गया। योजनाओं का चयन किये गए व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (DPC Act, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के अंतर्गत ` 31.50 लाख का अनियमित भुगतान।

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के अंतर्गत अंत्योदय कार्ड धारक, बी पी एल विधवा कार्ड धारक, बी पी एल आवेदनकर्ता एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को ` 50,000/- की एकमुस्त सहायता लाभार्थियों के बैंक खाते में ऑनलाइन प्रदान की जाती है। उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष की 01 मार्च से 28 एवं 29 फरवरी तक की शादी विवाह से संबन्धित आवेदन स्वीकृत किए जाने थे तथा प्रत्येक आवेदक द्वारा मार्च माह के प्रथम सप्ताह तक शादी का प्रमाण पत्र संबन्धित ज़िला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा तत्पश्चात भुगतान की कार्यवाही माह मार्च में प्रारम्भ की जाएगी। यदि आवेदक शादी का प्रमाण-पत्र संबन्धित ज़िला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में मार्च माह के प्रथम सप्ताह तक जमा नहीं करवाता तो आवेदक को उक्त अनुदान का भुगतान नहीं किया जाना था एवं इस दशा में आवेदक का आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त मान लिया जाना था।

कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान जनपद स्तर पर प्राप्त कुल 306 ऑनलाइन आवेदनों के सापेक्ष उक्त वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कुल बजट ` 92.00 लाख के सापेक्ष 184 लाभार्थियों को ही प्रति लाभार्थी ` 50,000/- की दर से लाभान्वित किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा माह मार्च 2018 में अनुमोदन प्रदान किया गया। संप्रेक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि संप्रेक्षा तिथि (जनवरी 2019) तक स्वीकृत सभी 184 लाभार्थियों को ` 92.00 लाख की धनराशि से लाभान्वित भी किया जा चुका था जबकि 63 लाभार्थियों द्वारा संप्रेक्षा तिथि (जनवरी 2019) तक भी ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल को विवाह प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराये गए थे। जिससे स्पष्ट है कि 63 आवेदकों द्वारा योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने के बावजूद योजना के दिशा-निर्देशों के विपरीत शादी प्रमाण पत्र निर्धारित समय-सीमा (प्रथम सप्ताह, मार्च 2018) के व्यतीत होने के 10 माह बाद भी ज़िला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, नैनीताल को उपलब्ध नहीं कराये गए थे। जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि उक्त लाभान्वित लाभार्थियों द्वारा वास्तव में शादी की भी गई अथवा नहीं।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि इंगित लाभार्थियों को भुगतान इस प्रत्याशा के साथ किया गया था कि संबन्धित लाभार्थियों द्वारा विवाह प्रमाण-पत्र शीघ्र ही इस कार्यालय को उपलब्ध करा दिये जाएंगे परंतु कतिपय कारणों से संबन्धित लाभार्थियों द्वारा विवाह प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। कार्यालय स्तर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शीघ्र ही संबन्धित लाभार्थियों से विवाह प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जाएँ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल स्तर से ऐसे 63 आवेदन-पत्रों को जिनके संबंध में विवाह प्रमाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा (मार्च-2018) तक प्राप्त न होने के बावजूद भी निरस्त न करते हुए ` 31.50 लाख का अनियमित भुगतान किया गया तथा 10 माह बाद भी ऐसे लाभार्थियों से विवाह प्रमाण-पत्र प्राप्त न हो सकने के कारण यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि उक्त विवाह वास्तव में सम्पन्न भी हुए अथवा नहीं।

अतः अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के अंतर्गत ` 31.50 लाख का अनियमित भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2 विभिन्न योजनाओं से संबन्धित विगत वर्षों की अवशेष धनराशि ` 200.62 लाख को बैंक खातों में अनियमित रूप से अवरुद्ध रखा जाना।

कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल, के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि समान्यतः इकाई स्तर पर गौरादेवी कन्याधन योजना, विधवा पेंशन तथा रा. सा. सा. कार्यक्रम,विकलांग पेंशन एवं छात्रवृत्ति योजना आदि के लाभार्थियों को धनराशि उनके बैंक खाते में कोषागार से सीधे ऑनलाइन अंतरित की जाती है परंतु कुछ संबन्धित लाभार्थियों के बैंक खाते निष्क्रिय होने अथवा आधार से लिंक न होने के कारण उक्त वापस आई धनराशि को इकाई स्तर पर संचालित 11 बैंक खातों में जमा किया जाता है जिसको आपत्ति का निराकरण होने के पश्चात पुनः संबन्धित लाभार्थियो के बैंक खातों में स्थांतरित किया जाता है।

लेखापरीक्षा के दौरान आगे यह पाया गया कि इकाई स्तर पर संचालित किए जा रहे 11 बैंक खातों में दिसंबर 2018 के अंत में ` 200.62 लाख की ऐसी धनराशि जोकि विकलांग पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, छात्रवृति योजना, वृद्धावस्था पेंशन आदि योजनाओं की विगत वर्षों की अवशेष राशि पड़ी थी। जिसको कार्यालय स्तर पर विभागीय प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा किया जाना था परंतु इकाई द्वारा उक्त धनराशि को विभागीय प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा न करके विभिन्न बैंक खातों में अवरुद्ध रखा गया था। संप्रेक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि कार्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे- पार्ट-1 पंजिका (विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त बजट अंकन पंजिका), पार्ट-2 पंजिका (विभिन्न योजनाओं हेतु बजट व्यय पंजिका), विभिन्न योजनाओं पर व्यय नियंत्रण हेतु लेज़र का रखरखाव नियमित रूप से लेखापरीक्षा अवधि में नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप यह ज्ञात नहीं था कि उक्त धनराशि किस अवधि से बैंक खातों में अवरुद्ध है।

लेखापरीक्षा द्वारा इकाई स्तर पर उक्त महत्वपूर्ण लेखा-अभिलेखों का रख-रखाव सुनिश्चित न किए जाने के संबंध में इंगित किए जाने पर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल, द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि कार्यालय स्तर पर कर्मचारियों की कमी के कारण लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अभिलेखों का रख-रखाव न हो पाने के कारण गत वर्षों की अवशेष धनराशि कितनी अवधि से बैंक खातों में अवरुद्ध है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तथापि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात शीघ्र ही उक्त महत्वपूर्ण अभिलेखों का रख-रखाव कार्यालय स्तर पर करते हुए उक्त ` 200.62 लाख की अवरुद्ध धनराशि को विभागीय प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि इकाई स्तर पर शासकीय धनराशियों के उचित लेखांकन हेतु महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे- पार्ट-1 पंजिका (विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त बजट अंकन पंजिका), पार्ट-2 पंजिका (विभिन्न योजनाओं हेतु बजट व्यय पंजिका), विभिन्न योजनाओं पर व्यय नियंत्रण हेतु लेज़र का रखरखाव किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जबकि इकाई स्तर पर विभागीय शिथिलतावश ऐसा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप इकाई स्तर पर संचालित किए जा रहे 11 बैंक खातों में दिसंबर 2018 के अंत में विगत वर्षों की आवशेष पड़ी ` 200.62 लाख की धनराशि किस अवधि से बैंक खातों में अवरुद्ध है, कार्यालय स्तर सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

अतः कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल स्तर पर प्राप्त शासकीय धनराशियों के लेखांकन हेतु महत्वपूर्ण अभिलेखों का रख-रखाव न किए जाने के परिणामस्वरूप विभिन्न योजनाओं से संबन्धित ` 200.62 लाख की विगत वर्षों से अवशेष राशि के बैंक खातों में अनियमित रूप से अवरुद्ध रहने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:3- 6476 छात्रों को छात्रवृति के लाभ से वंचित रखा जाना ।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 95/XVII-4/2017-01(82)/2014 दिनांक 16 फरवरी 2018 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 से विभगीय दशमोत्तर छात्रवृत्ति का क्रियान्वयन भारत सरकार के पोंटल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से किये जाने के संबंध में आदेश निम्न तालिका के अनुसार निर्गत किये गये थे।

क्रम संख्या	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित अंतिम तिथि
1.	छात्र–छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु online आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना	15.02.2018
2.	संबंधित शिक्षण संस्था के द्वारा प्राप्त आनलाईन आवेदन पत्रों कों जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जाना।	28.02.2018
3.	संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से निरस्त किये जाने वाले आवेदन पत्रों की तिथि।	15.03.2018
4.	संबंधित छात्र–छात्रा द्वारा पुनः त्रुटि ठीक कर आवेदन पत्र को समाज कल्याण विभाग को प्रेषित करने की तिथि।	15.03.2018
5.	संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की जॉच जिलाधिकारी द्वारा कराया जाना।	15.03.2018
6.	संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा ई0 बिल तथा पात्र छात्र–छात्राओं की सूची संबंधित कोषाधिकारी को उपलब्ध कराया जाना।	25.03.2018
7.	संबंधित कोषाधिकारी द्वारा पात्र छात्रों के सीबीएस खातों में छात्रवृत्ति/शुल्क का स्थानान्तरण किया जाना।	31.03.2018

उक्त आदेश के क्रम में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल के दशमोत्तर छात्रवृति संबंधित पत्रावलियों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2017–18 हेतु कुल 6476 छात्रों द्वारा पंजीकरण किया गया । उक्त छात्रों को यह धनराशि 31 मार्च 2018 तक उक्त आदेश के क्रम में आबंटित कर दी जानी चाहिए थी लेकिन वर्तमान (01/2019) तक कुल पंजीकृत छात्रों को छात्रवृति नही प्रदान की गई थी। जबकि उक्त छात्रों को छात्रवृत्रि प्रदान करने हेतू रूपये 413.28 लाख की धनराशि उपलब्ध थी।

उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि सत्यापन का कार्य राज्य स्तर एवं अंतर्राज्य प्रगति पर है । जिससे शीघ्र ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा । इकाई का उत्तर मान्य नही था क्योकि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार 31 मार्च 2018 तक छात्रवृति छात्रों के खातो में स्थानांतरित कर दिये जाने चाहिए थे।

अतः 6476 छात्रों को छात्रवृति के लाभ से वंचित रखे जाने का मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-4: वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 1.78 लाख का परिहार्य व्यय ।

वृद्धावस्था पेंशन विस्तार एवं प्रक्रिया सरलीकरण के लिए जारी उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 1547/36-4-दिनांक 30 मार्च 1990 के अनुसार ऐसे मामले जंहा पति / पत्नी दोनों पात्र है वहाँ नए प्रकरणो में पति-पत्नी में से केवल एक को ही वृद्धावस्था पेनशन अनुमान्य की जाय और ऐसे मामलों में महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी जाये। साथ ही उत्तराखंड शासनादेश के शासनादेश संख्या 883/ XVII-2/16-01(02)/2010 दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार एक परिवार में पति- पत्नी में से केवल एक ही व्यक्ति को पेंशन का लाभ मिलेगा किन्तु प्राथमिकता महिला लाभार्थी को प्रदान की जाएगी । वृद्धावस्था पेंशन की दरें समय-समय पर बदलती भी रही है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल के वृद्धावस्था पेंशन से संबन्धित अभिलेखो की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त शासनादेश के विपरीत 12 मामलों में पति- पत्नी दोनों को पेंशन प्रदान की गयी थी जो वर्तमान तक जारी थी (विवरण संलग्न)तथा जिस पर रुपए 177800 का परिहार्य व्यय किया जा चुका था।

उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि उल्लिखित 12 लाभार्थियो की पेंशन वसूली के सम्बब्ध में दिशा निर्देश प्राप्त करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इकाई के उत्तर से लेखा परीक्षा मत की स्वयमेव पुष्टि होती है। अतः अतः वृद्धावस्था पेंशन मद में अपात्र लाभार्थी को पेंशन स्वीकृत किए जाने के कारण 1.78 लाख के परिहार्य व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत लेखापरीक्षा के अनिस्तारित पस्तरों का विवरण निम्नवत है:

प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर	भाग-दो (ब) प्रस्तर	प्रतिपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
42/2009-10	01,02,03,04,05,	01, 02	शून्य
35/2011-12	शून्य	01	शून्य
132/2014-15	01	01, 02, 03,04	01,02
18/2016-17	शून्य	01,02,03,04,05	01
180/2017-18	शून्य	01,02,03,04,05	01

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में इकाई द्वारा बताया गया कि अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर उचित माध्यम से कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित की जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल तथा उनके कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री रवीद्र सिंह सामंत	जिला समाज कल्याण अधिकारी	01.01.2018 से 12/18

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार (सामाजकि क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकर भवन, कौलगढ़, देहरादून** को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकार/(सामाजिक क्षेत्र)